"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2008—भाद्र 14, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्रमांक ई-1-9/2007/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री सुब्रत साहू, भा. प्र. से. (1992) को अधिसमय वेतनमान (रुपये 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है. श्री साहू को उक्त वेतनमान का लाभ वर्ष 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से अर्थात् 18-2-2008 से देय होगा. श्री सुब्रत साहू अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर यथावत् पदस्थ रहेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 9-10/2008/1-8.—श्री जे. ए. सी. एस. राव, (भावसे, 1987, वन संरक्षक) संचालक, उद्यानिकी रायपुर की सेवाएं वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 6-6/2002/1/5.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि नियम-2003 की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के नियम-3 की श्रेणी 2 के अनुक्रमांक 21 में अन्य राज्यों के न्यायाधिपतिगण "रेसिप्रोकल" आधार पर राज्य अतिथि होंगे का उल्लेख है के पश्चात् एतदद्वारा अनुक्रमांक-22 में "अन्य राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त" को अंतःस्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 10-1/2006/16.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 27 सन् 1996) की धारा 62 एवं सहपठित धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार (विशेषज्ञ समिति से परामर्श के पश्चात्) एतदद्वारा छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में :-

नियम 251 के खण्ड (एक) में "श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ पदेन अध्यक्ष के रूप में," शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों को अंतःस्थापित किया जायें, अर्थात् :-

"अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति जो श्रमिक संगठन से या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हो".

No. F-10-1/2006/16.—In exercise of the powers conferred by Section 62 and read with Section 40 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Central Act No. 27 of 1996) the State Government after consultation with the Expert Committee hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rule :—

In Clause (i) of rule 251 after the words "Minister for Labour Chhattisgarh as the ex-officio Chairperson" the following words shall inserted, namely :-

"Or a person nominated by the State Government who is related with Labour Unions or Social field."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2008

क्रमांक-एफ-6-4/सात-3/2008.—निम्नलिखित आदेश प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (1959 का सं. 20) की धारा 13 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 3 की उपधारा (2) के परंतुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है, और एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिवस के अवसान पर विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन, छत्तीसगढ़ राज्य शासन, कमरा नं. 155, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

अनुसूची

अनुविभाग (1)	परिवर्तन का स्वरूप (2)	सीमाएं (3)
अनुविभाग-जगदलपुर, जिला बस्तर.	जगदलपुर अनुविभाग के वर्तमान सीमाओं से नवीन अनुविभाग बस्तर का सृजन करना.	अनुविभाग के अपवर्जन के पूर्व जगदलपुर की वर्तमान सीमाएं **उत्तर**- अनुविभाग कोण्डागाव. **दक्षिण**- जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का अनुविभाग दंतेवाड़ा. **पूर्व**- उड़ीसा राज्य. **पश्चिम**- जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का अनुविभाग दंतेवाड़ा एवं जिला बीजापुर का अनुविभाग बीजापुर.

(1)	(2)	(3)
	अपवर्जन के पश्चात् शेष अनुविभाग जगदलपुर.	**उत्तर**- नवीन प्रस्तावित अनुविभाग बस्तर. **दक्षिण**- जगदलपुर अनुविभाग. **पूर्व**- उड़ीसा राज्य. **पश्चिम**- जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा अनुविभाग एवं जिला बीजापुर का अनुविभाग बीजापुर.
	जगदलपुर अनुविभाग के अपवर्जन पश्चात् 2 तहसील बस्तर एवं बकावंड से नवीन अनुविभाग बस्तर का सृजन.	**उत्तर**- कोण्डागांव अनुविभाग. **दक्षिण**- जगदलपुर अनुविभाग. **पूर्व**- उड़ीसा राज्य. **पश्चिम**- कोण्डागांव अनुविभाग.

No. F-6-4/Seven-3/2008.—The following draft order which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) are hereby published as required by proviso of sub-section (2) of Section 13 of the said Code for the information of the all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 60 (Sixty) days from the publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours by the office of Secretary Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh State, Room No. 155, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Sub-Division (1)	Nature of Changes (2)	Boundaries (3)
Sub-Division Jagadalpur District Bastar.	Creates of new Sub-Division Bastar from present boundary of Jagadalpur Sub-Division.	Present boundary of Jagadalpur before exclusion of Sub-Division. **North-** Sub-Division Kondagaon. **South-** District Dakshin Bastar Dantewada's Sub-Division Dantewada. **East-** Orissa State. **West-**District Dakshin Bastar Dantewada's Sub-Division Dantewada and District Bijapur's Sub-Division Bijapur.
	By Exclusion of the rest Sub-Division Jagadalpur.	**North-** New proposed Sub Division Bastar. **South-** Jagadalpur Sub-Division. **East-** Orissa State. **West-**District Dakshin Bastar Dantewada's Sub-Division Dantewada and District Bijapur's Sub-Division Bijapur.
	Creation of New Bastar Sub-Division the 2 Tahsil Bastar and Bakavand from exclusion Sub-Division Jagadalpur.	**North-** Kondagaon Sub-Division. **South-** Jagadalpur Sub-Division. **East-** Orissa State. **West-**Kondagaon Sub-Division.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. भोयर, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2008

क्रमांक/एफ-17/2008/25-1/आजावि.—विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-45/2004/आजावि दिनांक 7 अक्टूबर, 2005 द्वारा डॉ. दीपक क्लाडियस, भिलाई, दुर्ग को पदभार ग्रहण तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर का सदस्य नियुक्त किया गया था. उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 2005 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य शासन, एतद्द्वारा पुनः डॉ. दीपक क्लाडियस, भिलाई, दुर्ग को अधिसूचना दिनांक से आगामी 3 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर का सदस्य मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2008

क्रमांक 2332/तक-600/टीसी/2008.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है, और एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर, कक्ष क्रमांक-384, के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 64 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"1. (क) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव, उनके सम्मुख विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए निम्नानुसार होंगे :—

स. क्र.	अधिकारी	जिलों से बने क्षेत्र के लिए
1.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम.
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़.
3.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर	बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर.
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुरनगर, कोरिया."

No. 2332/Tech-600/"C/2008.—The following draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994; which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected hereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of Principal Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh State, Room No. 384, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

For clause (a) of sub-rule (1) of Rule 64, the following clause shall be substituted, namely :—

"1. (a) The Secretary to the Regional Transport Authority shall be as under for the area specified against them :—

S. No.	Officer	For the area consisting district of
1.	Regional Transport Officer, Raipur.	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Durg Rajnandgaon, Kabirdham.
2.	Regional Transport Officer, Bilaspur.	Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa, Raigarh
3.	Regional Transport Officer, Jagdalpur.	Bastar, Kanker, Dantewara, Narayanpur, Bijapur.
4.	Regional Transport Officer, Ambikapur.	Sarguja, Jashpur-nagar, Korea."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 8-17/2008/10-2.—वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 1972 का 53) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के समस्त मंडल प्रबंधकों को वन्यप्राणी अभिरक्षक नियुक्त करती है.

2. यह अधिसूचना "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 8-17/2008 10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-17/2008/10-2, दिनांक 20-08-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, the 20th August 2008

No. F 8-17/2008/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the wild Life Protection Act, 1972 (No. 53 of 1972) the State Government, hereby appoints all the Divisional Managers of Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam Limited as Wild Life Wardens.

2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the "Chhattisgarh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAUSHLENDRA SINGH, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 02 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	सलौनी प. ह. नं. 28	918/3	0.080	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा निसदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
			942	0.040		
			856/3	0.049		
			934	0.081		
			769/3	0.112		
			929/1	0.012		
			764/3	0.110		
			783/1	0.089		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			931	0.202		
			936	0.025		
			937/2	0.040		
			937/3	0.020		
			769/2	0.121		
			853			
			854/2	0.965		
			855			
			599/3	0.405		
			932	0.101		
			763/1	0.020		
			763/2	0.057		
			766	0.061		
			783/3	0.057		
			935	0.085		
			869/1	0.045		
			920	0.138		
			787/2	0.020		
			857/1	0.004		
			919	0.040		
			784/1	0.085		
			927	0.016		
			779	0.048		
			780	0.048		
			768	0.112		
			771	0.335		
			772/3	0.140		
			928/1	0.101		
			933	0.097		
			870	0.012		
			924	0.020		
			861	0.052		
			944	0.060		
			945/1	0.202		
			946/1	0.142		
			922	0.101		
			862	0.053		
			864	0.061		
			865	0.020		
			921	0.036		
			786	0.452		
			770	0.162		
			787/1	0.190		
			856/1	0.053		
			856/2	0.053		
			930	0.117		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			937/1	0.004		
			599/2	0.638		
			599/4	0.085		
			863	0.105		
			599/1	0.711		
			614			
			784/1	0.085		
			782/3	0.032		
			769/1	0.080		
			783/2	0.121		
			857/2			
			850/1			
			851/1			
			852/1	0.324		
			945			
			946/1-2			
			947			
			971/1			
		योग	62	7.972		

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 01 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	खपरी प. ह. नं. 31	15	0.004	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा निसदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
			29	0.411		
			155/2	0.278		
			26	0.112		
			23	0.192		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			34	0.420		
			35/2	0.230		
			27/1	0.060		
			37	0.040		
			17/4	0.064		
			12/2	0.202		
			13/2	0.008		
			24/2	0.165		
			16	0.042		
			155/1	0.272		
			14/1	0.285		
			25/2	0.446		
			35/1	0.202		
			13/4	0.293		
			12/1	0.173		
			25/1	0.133		
			13/3	0.182		
			33/2	0.020		
			14/2	0.202		
			11/2	0.048		
			154/2	0.255		
			154/1	0.072		
			24/1	0.03		
			11/1	0.076		
			28/1	0.280		
			36	0.303		
		योग	**31**	**5.50**		

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र./17/अ 82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा वर्गमीटर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	गुढ़ियारी प. ह. नं. 107	1552/1 घ	58.55	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	रेल्वे अंडरब्रिज के रायपुर की ओर पहुंच मार्ग हेतु.
			1552/1 घ	100.12		
			1727 1728 1729	24.00		
		योग	03	182.67		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक/8956/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	गांगपुर	7.514	मेसर्स वन्दना विद्युत लिमिटेड, रायपुर.	540 मेगावाट पावर प्लांट स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक/8960/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	दर्राभाठा	31.665	मेसर्स वन्दना विद्युत लिमिटेड, रायपुर.	540 मेगावाट पावर प्लांट स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक/8962/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	सलोरा	20.878	मेसर्स वन्दना विद्युत लिमिटेड, रायपुर.	540 मेगावाट पावर प्लांट स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक/8958/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	झोरा	16.925	मेसर्स वन्दना विद्युत लिमिटेड, रायपुर.	540 मेगावाट पावर प्लांट स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक/8964/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	छुरीकला	37.225	मेसर्स वन्दना विद्युत लिमिटेड, रायपुर.	540 मेगावाट पावर प्लांट स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2008

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	सलका	176.990	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर (अधोसंरचना विकास कक्ष).	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान मुख्यालय, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2008

रा. प्र. क्र./2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	नारायणपुर	60.681	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर (अधोसंरचना विकास कक्ष).	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान मुख्यालय, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2008

रा. प्र. क्र./3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	कठमुंडा	101.406	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर (अधोसंरचना विकास कक्ष).	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान मुख्यालय, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2008

रा. प्र. क्र./4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	मुड़गांव	57.512	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर (अधोसंरचना विकास कक्ष).	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान मुख्यालय, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 11 जून 2008

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	रौहा प. ह. नं. 09	0.049	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, (कबीरधाम) छ. ग.	महाविद्यालय भवन के पहुंच मार्ग से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2008

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 03/अ/82, वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 75/10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
233	0.24
162	0.37
163	1.31
164	3.23
165/2	1.40
165/3	1.00
166/1	0.02
166/2	0.74
170	4.15
180	0.54
181	0.38
184	0.70
230	1.15
231	1.15
232	1.65
234	0.23
235	0.21
योग 17	18.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर परियोजना लाजिस्टिक हब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग एवं अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर, छ. ग.

जगदलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2008

क्रमांक/877/वि. यो. /न. ग्रा. नि./2008.—छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में दन्तेवाड़ा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 629/न. ग्रा. नि./2008 दिनांक 17 जून 2008 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन दन्तेवाड़ा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक् रूप से दिनांक 25-08-2008 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

दन्तेवाड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कारली एवं टेकनार ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम टेकनार, बालपेट, भैरमबंद, आवराभाटा, दंतेवाड़ा एवं ग्राम पातररास की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम पातररास एवं ग्राम कुम्हाररास की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कुम्हाररास, डेगलरास, पुरनतराई, चितालंका एवं कारली ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत बस स्टैण्ड, दन्तेवाड़ा.

No./877/D. P./T. C. P./2008.—The existing land use map and register for the Dantewara PlanningArea was published under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam (No. 23 of 1973) vide notice No. 629/T. C. P./ 08 Jagdalpur, dated 17 June 2008.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map and register of Dentewara Planning Area prepared and published are duly adoped under the provision of sub-section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice its also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the

fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 25-08-2008.

SCHEDULE

Limits of Dantewada Planning Area

North : Village Karli & up to Northern limit of Village Teknar.

East : Teknar, Balpet, Bhairamband, Aurabhata, Dantewada & up to the Eastern limit of Village Patarras.

South : Village Patarras and up to the Southern limit of Village Kumharras.

West : Village Kumharras, Dengalras, Purantarai, Chitalanka, & up to the Western limit of Village Karli.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general Public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Office of the Nagar Panchayat Bus stand, Dentewada.

पी. सी. रायकवार,
उप-संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, भू-अभिलेख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छ. ग.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 20 अगस्त 2008

क्रमांक/117/भू. अ./स. अ. भू. अ.-1/08.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. पी. शोरी, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा. जिले में प्रचलित रा. नि. मं. को पृथक कर, नवीन राजस्व निरीक्षक मंडल सृजित करता हूं. जो नीचे लिखे अनुसार है :—

क्र.	वर्तमान में प्रचलित राजस्व निरीक्षक मंडल का विवरण			नवीन सृजित राजस्व निरीक्षक मंडल का विवरण			भौगोलिक क्षेत्रफल
	तहसील	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. का विवरण	तहसील	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(7)	(8)
1.	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	1 से 13अ, 13ब एवं 24 तक कुल 25	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	1, 2, 3अ, 3ब, 4, 11, 12, 13 योग-8	21518.55
				दन्तेवाड़ा	पोन्दुम	5, 6, 7, 8, 9, 10 योग-6	19029.64
				दन्तेवाड़ा	बचेली	14, 15, 16, 17, 18, 19 योग-6	14731.84
						कुल योग 20	**55280.03**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(7)	(8)
				गीदम	बारसूर	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 योग-10	34484.57
				गीदम	गीदम	7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18 योग-8	24143.80
						कुल योग 18	**58628.37**
2.	दन्तेवाड़ा	कुआकोण्डा	25 से 50 कुल 26	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा	1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 योग-8	25692.14
				कुआकोण्डा	किरन्दुल	6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 योग-8	27433.19
						कुल योग 16	**53125.33**
				कटेकल्याण	कटेकल्याण	1, 2, 3, 4, 5, 6, योग-6	26245.31
				कटेकल्याण	बड़ेगुडरा	7, 8, 9, 10, 11 योग-5	22137.67
						कुल योग 11	**48382.9[illegible]**
3.	कोन्टा	छिन्दगढ़	1 से 17 योग 17	छिन्दगढ़	तोंगपाल	1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 योग - 10	34609.04
				छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 योग-10	39619.81
						कुल योग 20	**74228.85**
4.	कोन्टा	सुकमा	18 से 33 योग 16	सुकमा	गादीरास	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 योग - 8	40679.86
				सुकमा	[illegible]	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 योग 9	44694.51
						कुल योग 17	**85374.3[illegible]**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(7)	(8)
5.	कोन्टा	जगरगुण्डा	35 से 47 कुल 13	कोन्टा	जगरगुण्डा	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 योग - 7	59747.13
6.	कोन्टा	कोन्टा	34 एवं 48 से 56 तक योग 10	कोन्टा	कांकेरलंका	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 योग - 9	58737.47
				कोन्टा	कोन्टा	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 योग-9	55393.40
						कुल योग 25	**173878.00**

एस. पी. शोरी,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

"छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970
(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित"

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय)
रजिस्ट्रार कार्यालय—शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2008

संभागवार सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम तथा पते का प्रकाशन

क्रमांक-01/निर्वाचन/रापप्र/1863-65.—जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उप नियम (2) के तहत निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा नाम निर्देशन-पत्रों की जांच के पश्चात् एक से अधिक उम्मीदवारों वाले प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभागवार उम्मीदवारों का नाम तथा पते राजपत्र में प्रकाशन हेतु तैयार किये गये हैं.

अत: छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उप नियम (2) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, एतद् निदेश देता है कि एक से अधिक उम्मीदवारों वाले राजस्व आयुक्त संभाग का नाम तथा संभागवार उम्मीदवार का नाम एवं पते का प्रकाशन

आम लोगों के सूचनार्थ छत्तीसगढ़ के राजपत्र में किया जायगा.

टिप्पणी :- छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उपनियम (1) के तहत बस्तर राजस्व आयुक्त संभाग से सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट एक उम्मीदवार होने के कारण बस्तर संभाग में मतदान नहीं कराया जायगा.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2008

राजस्व आयुक्त संभागवार उम्मीदवारों का नाम तथा पते

राजस्व आयुक्त संभाग, रायपुर

क्रमांक-01/निर्वाचन/रापप्र/1863-65

सरल क्रमांक (1)	उम्मीदवारों का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. अनिल सिंह	वार्ड नं. 06, गण्डई, तहसील-गण्डई, जिला-राजनांदगांव
2.	डॉ. भूपेन्द्र लाल नायक	देव निकेतन, महाराष्ट्र भवन के पास, चौबे कालोनी, रायपुर, जिला-रायपुर
3.	डॉ. बिसौहा प्रसाद ताम्रकार	24 बी, सड़क-36, सेक्टर-04, भिलाई, जिला-दुर्ग.
4.	डॉ. देवेन्द्र कुमार ठाकुर	मनोहर चौक (बड़गापारा), ग्राम/पोस्ट-कुसुमकसा, तहसील-बालोद, जिला-दुर्ग.
5.	डॉ. कौशलेश कुमार पैकरा	ग्राम/पोस्ट-तिल्दा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर
6.	डॉ. पंचराम वर्मा	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर, जिला-रायपुर.
7.	डॉ. पतंजलि दीवान	जिला आयुर्वेद कार्यालय, दुर्ग, जिला-दुर्ग
8.	डॉ. राकेश कुमार नायक	हाण्डीपारा, तात्यापारा वार्ड, रायपुर, जिला-रायपुर
9.	डॉ. शंकरलाल चन्द्राकर	अभनपुर, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर
10.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर, जिला-रायपुर

राजस्व आयुक्त संभाग, बिलासपुर

सरल क्रमांक (1)	उम्मीदवारों का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. बालमुकुन्द सिंह	ग्राम/पोस्ट-काठाकोनी, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर
2.	डॉ. दशरथ लाल निराला	ग्राम-कुटेला, पोस्ट-गोड़िहारी, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़
3.	डॉ. दिलीप कुमार दिवाकर	मो. वशीर खां, वार्ड नं. -11, मुंगेली, जिला-बिलासपुर

(1)	(2)	(3)
4.	डॉ. कृष्ण कुमार तिवारी	कपिल नगर, सरकंडा, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर.
5.	डॉ. नत्थू लाल गवेल	आयुर्वेद पंचकर्म, नेचरोपैथी चिकित्सालय, अमर गैस गोदाम के पास, मगरपारा, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर.
	राजस्व आयुक्त संभाग, सरगुजा	
1.	डॉ. मदन प्रसाद नायक	ग्राम/पोस्ट-कोतबा, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर.
2.	डॉ. नीरज कुमार मिश्रा	स्कूल वार्ड, जनकपुर, तहसील-भरतपुर, जिला कोरिया

रायपुर

दिनांक 22-8-2008

रक्षपाल गुप्ता,
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th August 2008

No. 813/Confdl./2008/II-2-1/2008.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and :

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted on deputation as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashok Kumar Pathak, Deputy Secretary, Law & Legislative Affairs Department.	Raipur	Raigarh	Raigarh	I Additional District & Sessions Judge vice Shri R. K. Rathi.
2.	Shri Ashok Kumar Poddar, Deputy Secretary, Law & Legislative Affairs Department.	Raipur	Pendra Road	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge vice Shri R. K. Tiwari.

Bilaspur, the 19th August 2008

No. 815/Confdl./2008/II-3-1/2008.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2), of the table below is, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of her office, viz. :-

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Kiran Rathi, III Civil Judge Class-II.	Raigarh	Raipur	Raipur	II Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 19th August 2008

No. 817/Confdl./2008/II-2-1/2008.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Inder Singh Uboweja, III Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	District & Sessions Judge Vice Shri Prabhat Shastri.

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 25th August 2008

No. 36/L.G./2008/II-2-34/2002.—Shri T. C. Yadu, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 13 days from 25-08-2008 to 06-09-2008 along with the permission to prefix holidays falling on 23-08-2008 & 24-08-2008 and suffix holiday falling on 07-09-2008 and to remain out of headquarters from the evening of 22-08-2008 till 07-09-2008.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Yadu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 235+02 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2008

क्रमांक/704/जेओटीआई/2008.— माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, तत्कालीन निदेशक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि (01-11-03 से 31-10-2005) में से दिनांक 01-11-2003 से 04-05-2005 तक की अवधि के लिए उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 23 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्र. 13040/XXI-B/C. G./06 रायपुर दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 04-05-2005 से प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.